न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 93/2006 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2006/00010

उनवान

प्रताप सिंह पुत्र बुद्धी जाति जाट निवासी बल्लभगढ तहसील वैर (मृतक)

1. बदन सिंह } पुत्रान स्व0 प्रताप सिंह } जाति जाट निवासी बल्लभगढ़ तहसील वैर जिला
2. हनुमान सिंह } भरतपुर।
3. इमरती देवी पत्नी स्व0 प्रताप सिंह
4. विमलेश पुत्री स्व0 प्रताप सिंह

.....अपीलांट।

बनाम

1. मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, भरतपुर।
2. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, भरतपुर।
3. सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, बयाना।
4. कनिष्ठ अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, वैर।

..... असल रेस्पोंडेंट।

5. जिला कलक्टर, भरतपुर।
6. फतेह सिंह पुत्र रामबाबू जाति जाट निवासी बल्लभगढ़ तहसील वैर जिला भरतपुर।

..... तरतीवी रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वैर दिनांक 29.06.2006 मि.नं. 83/03 उनवानी प्रताप सिंह बनाम मुख्य अभियंता आदि।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री महाराज सिंह उपस्थित।
2. वकील रैस्पों0 श्री मोहन सिंह राणा उपस्थित।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक–08.08.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वैर के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.06.2006 के विरूद्ध पेश की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट/वादीगण ने एक दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, विरूद्ध रैस्पो0/प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 189 रकवा 04 बीघा 14 विस्वा वाके ग्राम बल्लभगढ़ तहसील वैर के अपीलाण्ट/वादीगण वहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी हैं।

रैस्पो0/प्रतिवादीगण, वैर से बल्लभगढ़ तक सडक का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें अपीलाण्ट/वादीगण की उक्त आराजी के अलावा खसरा नम्बर 191 व 193 का भाग, उपरोक्त सडक के लिए राज्य सरकार द्वारा अवाप्त किया जा चुका है तथा जिसका मुआवजा भी अपीलाण्ट/वादीगण को प्राप्त हो चुका है। परन्तु आराजी खसरा नम्बर 189 रकवा 04 बीघा 14 विस्वा का राज्य सरकार द्वारा सडक निर्माण करने के लिए कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है और ना ही सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कोई अवाप्ति की कार्यवाही ही की है। इसके बाबजूद भी रैस्पो0/प्रतिवादीगण, अपीलाण्ट/वादीगण के आराजी खसरा नम्बर 189 में होकर नाजायज एवं अवैध तरीके से जबरन सडक निकालने पर उतारू हैं। अपीलाण्ट/वादीगण ने उक्त आराजी से सडक निकालने की मना किया तो, उन्होनें उक्त आराजी से ही सडक निकालने की धमकी दी। यदि रैस्पो0/प्रतिवादीगण अपनी उपरोक्त मंशा में कामयाब हो गये तो, अपीलाण्ट/वादीगण को अपूणनीय क्षति होगी। अतः वाद प्रस्तुत कर डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से आराजी खसरा नम्बर 189 रकवा 04 बीघा 14 विस्वा से रकवा 16 विस्वा भूमि जो सडक निर्माण कार्य में ली गई है का रैस्पो0/प्रतिवादीगण नियमानुसार मुआवजा का भुगतान किये जाने के आदेश पारित किये। उक्त आदेश से व्यथित होकर वादीगण/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए बहस में तर्क प्रस्तुत किए कि अपीलाधीन आदेश व डिक्री कानून व रिकार्ड के खिलाफ हैं, जो काबिल निरस्तनीय हैं। रैस्पो0 द्वारा बिना अधिग्रहण किये अपीलाण्ट की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 189 वाके ग्राम बल्लभगढ तहसील वैर के 16 विस्वा रकवे में सन् 1980 में सडक हेतु कब्जा किया और तब से उनका कब्जा नाजायज चला आ रहा है। मौके पर कोई सडक निर्माण नहीं हुआ है इसलिये मुआवजे के स्थान पर अब तक की शास्ती राशि व आराजी से बेदखल किये जाने का निर्णय रैस्पो0 के विरूद्ध नहीं देने एव दावा की परिधि से बाहर जाकर मनमाने तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय को सन् 1980 से 2006 तक 26 वर्षो का 16 विस्वा भूमि की फसल क्षति के संबंध में शास्ति राशि कम से कम 1000 रूपये प्रतिफसल, प्रति वर्ष तय करनी चाहिये थी और उसकी अदायगी के लिये रैस्पो0 को आदेशित किया जाना चाहिये था। रैस्पो0 ने ना तो विवादित भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही की गयी है और ना ही मुआवजा राशि का कोई भुगतान ही दिया गया है। रैस्पो0 द्वारा आराजी को अपने नाजायज कब्जे में लेकर, अपीलाण्ट को उनकी खातेदारी की आराजी से बेदखल कर रखा है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए, विवादित आराजी से रैस्पो0 को बेदखल किये जाने व अब तक हुये फसल नुकसान के लिये अपीलाण्ट के हक में 1000 रूपये प्रतिवर्ष, प्रतिफसल के हिसाब से शास्ती राशि कायम करने के आदेश पारित करने का निवेदन किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रैस्पो0 ने जबावी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाण्ट के खसरा नम्बर 189 रकवा 04 बीघा 14 विस्वा में से केवल 16 विस्वा आराजी सडक के कार्य में आनी है जिसका मुआवजा रैस्पो0 ने अपीलाण्ट को देना चाहा था, जिसे अपीलाण्ट ने नहीं लिया गया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है सडक के निर्माण होने से अपीलाण्ट को कोई अपरमित क्षति नहीं होती है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद को तय करने हेतु पॉच तनकियॉ निर्धारित की हैं। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है :–

6. <u>तनकी संख्या 01</u> **"आया खसरा नम्बर 189 रकवा 04 बीघा 14 विस्वा वादीगण के आधिपत्य में हैं जिसमें होकर प्रतिवादी सडक निकालने पर उतारू हैं। अतः वादीगण, प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी हैं"** सम्यक विवेचना करने पर हम पाते हैं कि इस तनकी के दो हिस्से हैं :–

   (अ) **"आया खसरा नम्बर 189 रकवा 04 बीघा 14 विस्वा वादीगण के आधिपत्य में हैं जिसमें होकर प्रतिवादी सडक निकालने पर उतारू हैं"** अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2044–47 के अनुसार, विवादित आराजी में फत्ते सिंह पुत्र रामबाबू निस्फ एवं प्रताप पुत्र बुद्धि निस्फ भाग के खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं। वादी/अपीलाण्ट अपने दावे की मद संख्या 8 में विवादित भूमि में से 16 विस्वा भूमि पर सडक निर्माण होना कथन करते हैं एवं प्रतिवादी/रैस्पो0 भी अपने जबाव दावे की मद संख्या 02 में विवादित भूमि मे से 16 विस्वा भूमि पर सडक निर्माण होना बताते हैं। अतः तनकी का प्रथम भाग अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित रूप से वहक अपीलाण्ट तय किया है।

   (ब) **"वादीगण, प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी हैं"** वक्त बहस, विवादित भूमि में सडक बन चुकी है; अपीलाण्ट स्वीकार करते हैं। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188, केवल हस्तक्षेप को रोकने तक ही सीमित है; विवादित भूमि में सडक निर्माण होने से, वादी/अपीलाण्ट का कब्जा समाप्त हो गया है अतः वह कब्जा वापसी अथवा मुआवजा ही मॉग सकता है। अतः तनकी का यह भाग वादी के पक्ष में पुष्टि होने लायक नहीं है।

7. <u>तनकी संख्या 02</u> **" आया खसरा नम्बर 189 का कुछ भाग सडक निर्माण के कार्य में आ चुका है तथा मुआवजे की कार्यवाही चल रही है"** अधीनस्थ न्यायालय की इस तनकी विवेचना में हम कोई त्रुटि नहीं पाते हैं। वादी–प्रतिवादी के कथनों से सडक निर्माण होने पर कोई सन्देह नहीं है।

8. <u>तनकी संख्या 03</u> **" आया बिना 80 सीपीसी नोटिस दिये वादी का वाद खारिज होने योग्य है"** वर्तमान परिपेक्ष्य में तनकी प्रभावहीन है।

9. <u>तनकी संख्या 04</u> **" आया राज0 सरकार के फरीक मुकदमा नहीं बनाया है अतः दावा नहीं चल सकता है"** निःसन्देह राज्य सरकार को पक्षकार नहीं बनाया गया है।

10. <u>तनकी संख्या 05</u> **" आया मामला राजस्व भूमि से संबंधित होने से सिविल न्यायालय को सुनने का अधिकार नहीं है"** अधीनस्थ न्यायालय के इस तनकी बाबत् निष्कर्ष में हस्तक्षेप की गुंजाईश शेष नहीं पाते हैं।

11. <u>अनुतोष</u> :– सभी तनकियात के निस्तारण के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते हैं कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 अन्तर्गत, वादी/अपीलाण्ट का दावा चलने योग्य

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नहीं है क्योंकि विवादित भूमि पर सडक निर्माण होने के बाद, वादी/अपीलाण्ट का कब्जा ही नहीं है। जहॉ तक मुआवजा का प्रश्न है, यह अधीनस्थ न्यायालय अथवा इस अपीलीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय में विवादित भूमि में से 16 विस्वा भूमि पर मुआवजा भुगतान बाबत् आदेश पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त पर आधारित है। अपीलाण्ट सक्षम स्तर पर मुआवजा निर्धारण करवाने व प्राप्त करने को स्वतंत्र है। प्रस्तुत अपील के माध्यम से अपीलाण्ट को कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

12. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वैर के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.06.2006 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

13. निर्णय आज दिनांक 08.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official